पर 80 हजार ट्यूबवैल हैं और साढ़े चार करोड़ रुपये के बिजली के बिल का भुगतान बकाया है जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है उसको रोका जाए। पैकेज प्रोग्राम के आधार पर कृषि तथा औद्योगिक विकास के जो कार्यक्रम हैं उनको द्रुत गति से लागू किया जाए। साथ ही ला एण्ड आर्डर में सुधार लाया जाए ताकि फिर से पंजाब एक औद्योगिक प्रांत बन सके। वहां पर सामान्य स्थिति आ सके, इसके लिए आप हर प्रकार की कार्यवाही करें।

———

17.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Power Requirements and Production

MR. DEPUTY SPEAKER : We will now take up Half-an-Hour discussion. It has been already announced from the Chair that we have to complete the items of business that have already been listed for today. Therefore, after the Half-an-Hour discussion we will continue.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : How is it possible ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I have already announced. It is up to you. This has already been announced before I came. After Half-an-Hour discussion we will take up Pondicherry budget also.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, आज की आधे घंटे की चर्चा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और जो देश पर बिजली संकट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा 24 जुलाई को पूछे गए प्रश्न पर जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था, उससे सम्बन्धित जो पूरक प्रश्न बचे थे, उसके सम्बन्ध में यह चर्चा होने जा रही है।

उस दिन राज्य मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि इस देश में बिजली की आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट की है। उसके एगेंस्ट में 140 बिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यदि 16 बिलियन यूनिट बिजली और पैदा हो जाए तो देश की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। उस प्रश्न के जवाब में मन्त्री जी ने विशेषज्ञों की आड़ ली और तीन-चार और बातों का जिक्र किया। पहली बात यह है कि बिजली की व्यवस्था करना, उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है और केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है। फिर उन्होंने एक बात और कही, यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक मांग की पूर्ति हो जाएगी। मैं पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि बिजली का उत्पादन 85 से 90 प्रतिशत आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, यह आंकड़ा मन्त्री महोदय को किसने दिया है, किस आधार पर दिया है ? यह बात अभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। जिस वक्त मन्त्री महोदय ने यह बात कही थी, तो विरोध पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिवाद किया था। इन्होंने कहा था कि छः घण्टे बिजली मिलती है, कहीं सात घण्टे बिजली मिलती है और यह कहा था कि छः-सात घण्टे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में, जिसका प्रतिवाद हम लोगों ने किया। मैं अभी पिछले दिनों अपनी कांस्टीचूयेंसी में गया था, वहां महुवा में को-आपरेटिव सोसाइटी का कोल्ड स्टोरेज है, जहां किसान अपना आलू का बीज स्टोर करता है।

मैं जब वहां गया तो मैंने उनसे इसके बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मंत्री महोदय

कहते हैं कि खूब बिजली मिल रही है, आप बतलाइये कि आपको कितनी बिजली मिल रही है ? जो गवर्नमेन्ट डाक्यूमेन्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूं—20-5-1984 से 26-5-1984 तक एक मिनट के लिये भी बिजली नहीं आई। उसके बाद 6-6-1984 से 8-6-1984 तक एक मिनट के लिये भी बिजली नहीं आई। उसके बाद 12-7-1984 से 19-7-1984 तक बिजली नहीं आई। यह उस कोल्ड-स्टोरेज का हाल है जो प्रखण्ड के हैडक्वार्टर में है और जिस में ढाई हजार किसान अपना आलू रखते हैं। 8 लाख 31 हजार रुपये के उसके शेअर हैं, 13 लाख 32 हजार रुपये का उस पर सरकारी ऋण है, लेकिन उसको बिजली नहीं मिल रही है, नतीजा यह होता है कि या तो कोल्ड स्टोरेज जहन्नुम में जायेगा या किसान जिसकी सम्पत्ति वहां रखी है जहन्नुम में जायेगा।

मंत्री महोदय ने बतलाया था कि प्रदेश में पाच-छः घन्टे बिजली मिलती है। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा—जब आप यह कहते हैं कि 6 घन्टे बिजली मिलती है तो आप इस बात को मानकर चलते हैं कि चौथाई बिजली मिलती है. यदि यह बात ठीक है तो आप कैसे कहते हैं कि 90 प्रतिशत आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन हो रहा है ? मैंने पार्लियामेंट में एक प्रश्न पूछा था—हिन्दुस्तान में 5,76,916 गांव हैं, इनमें से कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है ? मैंने बिहार के बारे में भी प्रश्न पूछा था और जवाब में मुझे बतलाया गया कि बिहार में 67,566 गांव हैं, मार्च 1984 तक इनमें से 32,994 गांवों का बिजलीकरण हो चुका था। इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ, बल्कि इनमें भी सब जगह बिजली नहीं पहुंच रही है, पोल पहुंच रहे हैं, जहां पोल खड़े कर दिये हैं उन गांवों को भी इनमें गिन दिया गया है। मैं एक और उदाहरण देता हूं—राजस्थान में आवश्यकता है—180 लाख यूनिट्स की, लेकिन आपूर्ति हो रही है—केवल 75 लाख यूनिट्स की। मध्य प्रदेश की मांग है 20,358 मैगावाट्स की, आपूर्ति का तो पता नहीं, लेकिन उत्पादन हो रहा है 14,124 मैगावाट्स का। हरियाणा में 180 लाख यूनिट्स की मांग है और वह भी सिर्फ उद्योग-धन्धों के लिये, लेकिन उसमें सप्लाई हो रही है—सिर्फ 90 लाख यूनिट्स। बरौनी के थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 255 मैगावाट है, लेकिन उत्पादन हो रहा है - केवल 39 मैगावाट। जब सब जगहों पर डिमाण्ड के अनुरूप केवल 50 परसेंट की आपूर्ति हो रही है तब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 16 बिलियन यूनिट्स और हो जाय, 10 परसेंट अधिक उत्पादन हो जाये तो आवश्यकता की आपूर्ति हो जायेगी। मैं आपके इस स्टेटमेंन्ट को चैलेन्ज करता हूं। मंत्री महोदय को जो इन्फर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है, उसमें डिपार्टमेंट ने उनको मिसलीड किया है। आवश्यकता, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक है, जितना उत्पादन इस समय कर रहे हैं, यदि उसका दुगना उत्पादन भी करें, तब भी वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा।

सबसे बड़ी बात यह है—इन्होंने सब स्टेटों की बिजली को लेकर एवरेज निकाल दिया है। कई स्टेट्स में हो सकता है, बिजली का उत्पादन अधिक होता हो। लेकिन मैं बिहार से आता हूं—आप बिहार को लीजिये। मंत्री महोदय स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, वे उत्तर प्रदेश को लें और आप ईमानदारी से बतलाइये कि आप का यह कहना कहां तक सही है। हमारे यहां 29 परसेंट बिजली की कमी है। इसलिये जो आपने आंकड़े दिये हैं वे मुझको कन्विन्स नहीं कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपने गलत आंकड़े दिये हैं, लेकिन यह डिस्कशन इसीलिये उठाया है कि आप ठीक से जांच-पड़ताल करें और सही तथ्य सामने आ सके। आपके आंकड़े ऐसे होने चाहियें जो लोगों को कन्विन्सिंग लगें।

आपके यहां एक टर्म है टी०आर०डी०, जिसका मतलब है ट्रांस्मीशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लास। मैं जानना चाहता हूं, जब आप जवाब दें तो मुझे बतलायें, आपने जो उत्पादन बतलाया है उसमें इसको इन्क्लूड करके बतलाया है या एक्सक्लूड करके बतलाया है ? क्योंकि आप कहते हैं कि आपके यहां 10 से 15 परसेंट लास का मार्जिन लेकर आप चलते हैं लेकिन आपके यहां एक्चुअल लास 29 परसेंट है। तो 29 परसेंट में यह इन्क्लूडेड या एक्सक्लूडेड किये हुए हैं।

दूसरे मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि राजाध्यक्ष कमेटी ने भी कहा है कि जो आइडियल यूटीलाइजेशन आफ कैपेसिटी होता है, वह 55 परसेंट का होता है और यह 55 परसेंट होनी चाहिए। अभी दो साल पहले आपके यहां यूटीलाइजेशन कैपेसिटी 49 परसेंट थी और अब यह घटकर हो गया 47 परसेंट। इसका मतलब है कि एक साल में एक परसेंट। इतनी बिजली यूटीलाइजेशन कैपेसिटी के लास का मतलब होता है 500 मैगावाट और 500 मैगावाट प्लांट लगाने का मतलब होता है 500 करोड़ रुपये का घाटा और दो यूनिट आप लें तो 6 हजार रुपये का घाटा चल रहा है। राजाध्यक्ष कमेटी ने 55 परसेंट रखा था और दो साल पहले जबकि यह 49 परसेंट था, अब घटकर 47 परसेंट आ गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली विकास का स्रोत है और मैं आपको बताऊं कि मैं दो महीने विदेशों में रहकर आया हूं और वहां एक मिनट, एक सैकेन्ड के लिए भी बिजली नहीं जाती है। मैं गांव-से-गांव, यूनाइटेड स्टेट्स, केनाडा और लन्दन में गरीब-से-गरीब, जो वहां के मुताबिक गरीब है, के यहाँ रहकर आया हूं और वहां कोई जानता भी नहीं है कि बिजली गुल हो सकती है, बिजली गायब हो सकती है लेकिन यहां पर बिजली की क्या हालत है। दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली में जो बिजली की हालत है, उस पर चर्चा भी काफी हो चुकी है। बिजली विकास का स्रोत है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिजली की कमी के कारण 7 हजार करोड़ रुपये से लेकर 10 हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष घाटा हो रहा है विभिन्न इंडस्ट्रीज में और आर्थिक जगत में।

मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि बिजली पर आपने क्या खर्च किया है। पहली योजना में पूरी योजना खर्च का 16.3 प्रतिशत खर्च किया है, दूसरी योजना में 11.2 प्रतिशत, तीसरी योजना में 15.6 प्रतिशत और पांचवीं योजना चलते-चलते आपने 18.6 प्रतिशत खर्च किया है और बिजली के उत्पादन का जो लक्ष्य था, वह प्रथम योजना में 13,000 लाख मैगावाट था जबकि आपने कुल 11,000 लाख मैगावाट उत्पादन किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां लक्ष्य था 35,000 लाख मैगावाट का, वहां आपने उत्पादन किया 22,500 लाख मैगावाट, तीसरी योजना में 1961-66 तक जहां 70,400 लाख मैगावाट का लक्ष्य था, वहां आपने उत्पादन किया 47,150 लाख मैगावाट, वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक जहां लक्ष्य था 54,300 लाख मैगावाट, वहां आपने उत्पादन किया 43,810 लाख मेगावाट, चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां लक्ष्य था 92,600 लाख मैगावाट, उसके एगेंस्ट आपने उत्पादन किया 46,100 लाख मैगावाट और चौथी योजना में 1974 से 1979 के बीच में जहां लक्ष्य 1,25,000 लाख मैगावाट था, उसके एगेंस्ट आपने 1,02,000 लाख मैगावाट उत्पादन किया। जहां तक मेरी जानकारी है, 1980-85 में 20,263 मैगावाट का लक्ष्य रखा है और पता नहीं कि उत्पादन कितना हो रहा है। इस तरह से आप लक्ष्य को देखें और उत्पादन को देखें तो लक्ष्य के अनुपात में उत्पादन कुछ भी नहीं है। राजाध्यक्ष कमेटी और पार्लियामेंट की इस्टीमेट्स कमेटी ने बार-

बार दोहराया है कि यह जो घाटा हो रहा है, यह अपूर्णीय है। जब तक लक्ष्य के मुताबिक उत्पादन नहीं करते हैं, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है।

अब इस घाटे का कारण क्या है। कमेटी ने जो घाटे का पहला कारण दिया है वह यह है कि अच्छे कोयले की जगह पर गलत कोयला सप्लाई होता है। ऊर्जा मंत्रालय को रेल मंत्रालय के कारण जो नुकसान हुआ वह दस साल में तीन हजार करोड़ रुपये का हुआ। कोयले की जगह पर पत्थर सप्लाई किया गया। आपके बिजली बोर्ड कहते हैं कि हम लक्ष्य के मुताबिक उत्पादन क्यों नहीं कर पाये, इसलिए नहीं कर पाये कि कोयला विभाग को हमें जो कोयला देना चाहिए था वह हमको नहीं दिया गया, इसी कारण से दस साल के अन्दर 3 हजार करोड़ रुपये का उनको नुकसान हुआ। जब मंत्री जी जवाब दें तो बताएं कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है या नहीं।

समिति की रिपोर्ट में उपकरणों के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि वे विलम्ब से मिलते हैं। आपके यहां एक भेल कम्पनी है। क्या उसका उत्पादन आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं होता है? क्या भेल की तरह की आप कोई और कम्पनी भी खोलने जा रहे हैं? क्या भेल का उत्पादन ठीक तरह का नहीं होता है जिससे कि आपको उपकरण बाहर से मंगाना पड़ता है? क्या बाहर से उपकरण भेल में ठीक उत्पादन न होने के कारण मंगाये जाते हैं या कमीशन के लिए बाहर से मंगाये जाते हैं? इन सबका आप जवाब दें। समिति ने यह भी बताया है कि लोहे और सीमेंट की आपूर्ति समय पर नहीं होती है।

सबसे भयंकर बात यह है कि 1971 में हरिजन और आदिवासी लोग जो आपकी कोयला खानों में काम कर रहे थे उनकी संख्या 29 हजार थी। वह संख्या अब घटकर 15 हजार हो गई है। आपने बाहर से मशीनें मंगाई हैं। आपकी मशीनें कोयला तोड़ तो सकती हैं लेकिन वे कोयला साफ नहीं कर सकती हैं, कोयले से पत्थर को नहीं हटा सकती हैं। आपने 29 हजार गरीब लोगों की संख्या को घटाकर 15 हजार कर दिया, यह आपने उनकी रोजी-रोटी के साथ अन्याय किया है। इस तरह से दस सालों में आपके यहां 3 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

यह बहुत गम्भीर मामला है। जब से हम यहां आये हैं, हम यह सुनते आ रहे हैं कि रेल और कोयले विभागों का आपस में कम्बीनेशन नहीं बैठता है। आपका रेल विभाग कहता है कि हमें कोयला नहीं मिल रहा है और आपका कोयला विभाग कहता है कि हमें वेगन नहीं मिल रहे हैं। आपके इन दोनों विभागों में को-आरडिनेशन होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्याएं है जिनके बारे में विभिन्न समितियों ने कहा है।

सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपकी कोई राष्ट्रीय बिजली नीति है या नहीं? इसकी राजाध्यक्ष समिति ने भी और एस्टीमेट्स समिति ने भी मांग की है। क्या आपके पास कोई लॉग टर्म योजना है या नहीं? आप एक साल, दो साल की योजना बनाते हैं। क्यों नहीं आप सन् 2000 ईस्वी तक की योजना बनाते हैं कि उस समय तक देश को बिजली की इतनी आवश्यकता होगी और आप उसके लिए कितनी बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे? आप 20-25 साल का प्लान बनाएं। जब आप लॉग टर्म प्लान बनायेंगे तभी आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर पायेंगे। इसके लिए मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं। मैं नहीं जानता कि इस सदन के बाद हम इस सदन में होंगे या नहीं होंगे लेकिन मंत्री जी मैं आपके

बारे में जरूर चाहता हूं कि आप इस सदन में दुबारा आयें और बिरोध पक्ष में रहें। जो मैं कह रहा हूं वह तो सरकार को निर्णय लेना है और वह सरकारी निर्णय होगा। हो सकता है आज आपकी सरकार है, कल को हमारी सरकार हो। लेकिन सरकार का एक निश्चित कार्यक्रम, एक निश्चित योजना होनी चाहिए। आप उस योजना के बारे में एक श्वेत-पत्र निकालें। उसमें आप बताएं कि आगामी 20-25 सालों में देश को कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और उसकी कितनी पूर्ति आप जल बिजली, कितनी पूर्ति ताप बिजली और कितनी पूर्ति परमाणु शक्ति के द्वारा करने जा रहे हैं। किस-किस स्रोत से आप कितनी-कितनी बिजली उत्पन्न करेंगे।

आपको राजाध्यक्ष समिति ने, एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी-अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। उनकी रिकमण्डेशंस के बारे में आपने अब तक क्या किया, यह आपको बतलाना चाहिए। आपने हमेशा नेशनल ग्रिड और क्षेत्रीय ग्रिड का मामला उठाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश में बिजली एक्सट्रा है, किसी प्रदेश में बिजली की कमी है। यह जो एकदम अपोजिट चीजें हैं इनको दूर किया जाए। इसके लिए जब तक आप क्षेत्रीय ग्रिड नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इसको पूरी तरह से केन्द्र में मिला दें लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि बिजली का सवाल देश का एक अहम सवाल है। इसको आप राज्य सरकारों पर डालकर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। इसे आप बेशक केन्द्र का दायित्व कहिये या और कुछ कहिये।

विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। अगर पूर्णतः नहीं ले सकते हैं तो 45 परसेंट ही करें। एस्टीमेट कमेटी रिपोर्ट पर मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि 45 परसेंट हम धीरे-धीरे एचीव कर लेंगे। यह 1980-81 की रिपोर्ट है। आज 5 साल हो गए हैं। कितना आपने एचीव किया है। सरकार अपनी जवाब देही से नहीं भाग सकती। बिजली की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर हम इस मामले में आत्म-निर्भर नहीं होंगे तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती है। बाकी चीजों के बगैर आपका काम चल सकता है, लेकिन एनर्जी की आवश्यकता हर चीज में पड़ती है। इस मामले में लापरवाही बरती गई तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि पीछे भागेगा। जैसा कि मैंने आंकड़े से साबित किया है। पहले यूटीलाइजेशन था 49 परसेंट। अब हो गया है 47 परसेंट। मंत्री महोदय ने बतलाया है कि आवश्यकता के अनुरूप 90 परसेंट हमारा उत्पादन बिजली का हो रहा है। 156 बिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता इस देश में है। इसके अनुरूप 140 बिलियन यूनिट पैदा हो रही है। तो यह गलत बात है। आप एवरेज को मत देखिए। जो कठिनाई किसान फेस करता है, कल-कारखाने फेस करते हैं और जन-प्रतिनिधि होने के कारण हमारे पास जो शिकायतें सुनने को आती हैं, उनकी ओर आपको ध्यान देना है। अपने अफसरों की लगाम भी थोड़ा कस कर रखिए। घोड़ा अगर मजबूत हो और बैठने वाला कमजोर हो तो घोड़ा उसको उठाकर फेंक देता है। अगर बैठने वाला मजबूत हो तो घोड़ा अपनी चाल से चलता है। इसलिए अपने आपको मजबूत कीजिए, यही मैं आग्रह करता हूं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 24 तारीख को जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था, उस वक्त जो मैंने जवाब दिया था, वह उन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। जो आंकड़े जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए हैं। विद्युत का

उत्पादन, वितरण और किन-किन क्षेत्रों में कितनी आवश्यकता है, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेना नितांत आवश्यक है। इस बात को माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे। मेहता जी भी इसको मानेंगे क्योंकि वे इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाते हैं। बल्कि नान टेक्नीकल लोग इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कहां कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को तय करने के लिए एक मापदण्ड बनाना होता है और उसके आधार पर आंकड़े तय किए जा सकते हैं। शुरू से ही इलेक्ट्रिक पावर कमेटी आफ इंडिया के नाम से एक समिति बनाई जाती है। इस समिति के अध्यक्ष सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथारिटी के चेयरमैन होते हैं और इसके सदस्यों में मेंबर प्लानिंग सी.ई.ए., प्लानिंग कमीशन के जो एडवाइजर हैं, विशेषज्ञ हैं, वे सदस्य होते हैं। इसके अलावा नार्दन रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सदर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नार्थ ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग, मिनिस्ट्री आफ फाइनांस, ये इसमें होते हैं। इनके अलावा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि भी इस समिति का सदस्य होता है और इसके बाद कृषि मंत्रालय, उद्योग-मंत्रालय और विद्युत विभाग का भी एक-एक प्रतिनिधि इस समिति में होता है।

विद्युत विभाग का भी एक प्रतिनिधि इसमें होता है। इसके साथ-ही-साथ डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनर्जी का भी एक प्रतिनिधि इस समिति में होता है। कुछ और अधिकारी होते हैं जो इस समिति से संबंधित होते हैं। इस समिति का कार्य-काल पांच साल के लिए होता है। मापदंड के आधार पर यह समिति निर्धारित करती है कि हमारी आवश्यकता क्या होगी। इस समिति की संस्तुति होने के बाद सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी आखिरी फैसला करती है कि इस साल के लिए हमारी क्या आवश्यकता होगी ? जब हम यह कहते हैं कि क्या आवश्यकता होगी तो उससे हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि कुल कितनी बिजली की खपत होगी। मिसाल के तौर पर आने वाले साल में एयर कंडीशनर दिल्ली में ज्यादा लगाए जाएं जितने हमने नहीं सोचे थे या दूसरे यंत्र लगाए जाएं तो जाहिर है कि हमने जो असेसमेंट किया है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी तो आ ही जायेगी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में बिजली की आवश्यकता की जो ग्रोथ है, उसमें हमारे असेसमेंट से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आवश्यकता में बढ़ोत्तरी की बात कर रहा हूं। हमारे असेसमेंट से काफी आगे बढ़ गई है। बुनियादी जरूरतों के लिए जहां बिजली की जरूरत है, हमारा जो असेसमेंट होगा, वह इस आधार पर होगा कि हमारे औद्योगिक विकास के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है। इस पर भी आधारित होगा कि कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की कितनी आवश्यकता है ? यह निर्धारित नहीं होगा कि कितने एयर-कंडीशनर्स, हीटर्स या दूसरी सुविधाओं की चीजों का कितना इस्तेमाल किया जायेगा। इस वक्त 12वीं इलेक्ट्रीक पावर कमेटी काम कर रही है। मैं 11वीं कमेटी की बात कर रहा हूं। यह मामला शायद राज्याध्यक्ष कमेटी के सामने भी आया था। मिसाल के तौर पर पंजाब के बारे में जब असेसमेंट किया जा रहा था तो उस वक्त यह बात ध्यान में नहीं रखी गई थी कि पंजाब का किसान एकदम तेजी के साथ चावल की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेगा। बुनियादी असेसमेंट यह था कि मानसून के समय पंजाब में बिजली की आवश्यकता कम होगी। बाद में यह पता चला कि मानसून में कुल बिजली की

खपत कृषि के क्षेत्र में दूसरे सीजन से भी ज्यादा हो गई। यह ऐसा फैक्टर था, जिसको इस कमेटी ने अपने कंसीडरेशन में नहीं लिया था। यह आवश्यकता उस समय नहीं थी जब कमेटी ने असेसमेंट किया था। एक बात पर बार-बार जोर दिया जा रहा है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, उसका 85 प्रतिशत अगर उत्पादन है तो फिर छः या सात घन्टे बिजली क्यों दी जा रही है ? मैंने यह कहा था कि 156 बिलियन यूनिट की आवश्यकता निर्धारित की है और 140 बिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है। इसलिए माननीय रामविलास पासवान जी ने हाफ-एन-आवर डिस्कशन मांगते हुए अपने एक्सप्लेनेटरी नोट में जो कारण दिए हैं, वे यही है कि जब केवल पन्द्रह प्रतिशत कमी है, एक्सप्लेनेटरी नोट में ही नहीं लिखा है, बल्कि यहां पर कहा भी है·····

श्री राम विलास पासवान : वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यकता तो 156 मिलियन यूनिट्स की है और आप 85 प्रतिशत कर पाये हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसी के बारे में तो मैंने बताया कि हमारी एक समिति इस बारे में निर्णय करती है कि साल-भर के लिए कितनी आवश्यकता होगी और कितनी उपलब्ध है·····

श्री राम विलास पासवान : आप भी तो बताइये कि आप क्या देखते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यही देखता हूं कि उस समिति और आपमें समन्वय स्थापित कैसे करा सकूं। श्रीमन् यदि सामने से देखा जाए तो बहुत ठीक सवाल लगता है, लेकिन बिजली के संदर्भ में देखिए तो बहुत सुसंगत सवाल नहीं है। पैराडौक्सिकल इसलिए नहीं है कि हमारे किसानों ने जिस वक्त गेहूं की फसल बोयी होती है, उस वक्त से लेकर गेहूं के कटने तक देहाती क्षेत्रों में बिजली की जितनी आवश्यकता होती है, वह मानसून के महीनों में नहीं होती। सिर्फ मैं मानसून और किसानों की ही बात नहीं करता, आप दिल्ली में ही देख लीजिए, हमारी मई और जून के महीनों में जितनी बिजली की आवश्यकता है, वह आवश्यकता अक्तूबर-नवम्बर और दिसम्बर महीनों में नहीं है। वह बदलती रहती है।

श्री राम विलास पासवान : उस वक्त एअर-कण्डीशनर चलते हैं तो नवम्बर-दिसम्बर में हीटर चलते हैं···

(व्यवधान)

18.00 hrs.

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन मीटर यह बताता है कि उन महीनों में बिजली की खपत कम है। उस समय, जब गेहूं बोया हुआ हो, तो चार-पांच बार गेहूं को पानी देने के लिए सारे किसानों को एक ही समय पर बिजली चाहिए। इसीलिए उस वक्त बिना राशनिंग के काम नहीं चल सकता। यह सम्भव ही नहीं है कि एक वक्त आप सबको बिजली दे सकें। अगर माननीय राम विलास पासवान जी दिन में तीन बार तीन कप चाय पीते हैं तो कोई जरूरी नहीं उनको पूरे 24 घण्टों में बांट कर पियें, उनके बीच में आठ-आठ घण्टे का अन्तराल रहे, एक साथ भी वे तीनों कप पी सकते हैं, उनको दो-तीन बार में भी पी सकते हैं। हमारी समस्या भी यही है।

श्री राम विलास पासवान : फिर तो आप छः घण्टे तक ही अपने क्वार्टर में बिजली रखिए·····

श्री आरिफ मोहम्मद खां : छः घण्टे वाली बात बिजली से सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि बिजली का वितरण करना सम्भव नहीं है। मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। वैसे यह

राज्य सरकारों का विषय है और उनकी तरफ से जो जवाब हमें प्राप्त होता है, वही मैं आपके सामने रखता हूं। यहां मेरे मत का प्रश्न नहीं है कि मेरी यह राय है। यह संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है और बिजली के वितरण का कार्य राज्य सरकारों को देखना है। जब वे इस काम को देखती हैं तो उनसे जो उत्तर मुझे यहां प्राप्त होता है, वही सूचना हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं।

जहां तक आपने अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का प्रश्न उठाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा। लेकिन आप इसी मामले में देखिए। मिसाल के तौर पर यह पूछें कि वैस्ट बंगाल की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, वहां के जो आंकड़े मैंने आपको बताए, छः घण्टे बिहार में बिजली मिलती है, सात घण्टे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वे सारे आंकड़े प्रदेश सरकारों से हमें उपलब्ध होते हैं। उनकी सूचना के अनुसार वैस्ट बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां 24 घण्टे बिजली उपलब्ध है। मैंने यहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। वैस्ट बंगाल की कुल कितनी उत्पादन क्षमता है और वहां कितनी आवश्यकता है, क्या यह सम्भव है कि वे उसका उपयोग दिन-रात नहीं कर सकते, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमको वहां की सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है, जो सूचना वे हमें भिजवाते हैं, उस पर ही निर्भर करना पड़ता है और वही मैं आपको यहां दे रहा हूं। यदि आप वाला मापदण्ड वहां पर लागू किया जाए, उसमें दोनों चीजों में कोई तालमेल नहीं बैठेगा कि वहां कितनी आवश्यकता है और कितनी उत्पादन क्षमता है। मगर मेरी मजबूरी है कि मैं वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़ों से आगे या पीछे नहीं जा सकता। लेकिन जो हिसाब राम विलास पासवान जी का है उसके अनुसार इसमें तालमेल नहीं बैठता। इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं। जब वे कहते हैं—नो रीस्ट्रिक्शन—तो हो सकता है कि किसी क्षेत्र को सिर्फ दो ही घण्टे बिजली मिलती हो। क्योंकि गांवों में जब हम ट्यूबवैल लगाते हैं···

ट्यूबवैल को चलाने के लिए 20 घंटे बिजली की जरूरत नहीं होती। जितनी देर खेत को पानी देना है सिर्फ उतनी देर ही बिजली चाहिए। हर वक्त एक सी नहीं चाहिए, अलग-अलग चाहिए।

बुनियादी बात के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई कटिनाई नहीं है कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में आर्थिक क्षेत्र में हमारे एसेसमेंट के मुकाबले वास्तविक आवश्यकता आगे पहुंच गई है। मैं यह मानता हूं कि बुनियादी तौर पर विकास और प्रगति के कामों के प्रति लोगों के मन में रुचि पैदा हुई। बुनियादी तौर पर हमारे लोगों का साइंटिफ़िक टैम्पर बना है, प्लान डैवलपमेंट के जरिए होने वाले फायदे, विकास के जरिए होने वाले फायदे साधारण नागरिक तक पहुंचे हैं। छोटे आदमी के मन में भी यह भूख पहुंची है कि साइंस, विज्ञान और प्रगति से जो फायदे होते हैं, उनको मैं हासिल करूं और उनका इस्तेमाल अपने समाज के विकास के लिए करूं। उससे हमें बहुत खुशी है। असल में उससे हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उससे हिम्मत बढ़नी चाहिए।

1947 के बाद जहां कुल 1500 के करीब गांवों में बिजली थी, आज पूरे देश के 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में बिजली पहुंच गई है। 1947 के बाद 1300 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता थी जो छठी योजना के अन्त तक 13 हजार मेगावाट उत्पादन की क्षमता होगी।

श्री राम विलास पासवान : बिजली पहुंची है कि पोल पहुंचे हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब पोल पहुंचाये हैं तो बिजली पहुंचाने में भी दिलचस्पी होगी, लेकिन जब इतनी बिजली नहीं बन पाती तो इस पर विचार करना पड़ता है । बुनियादी तौर पर यह स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट है, केन्द्रीय सरकार को इसमें क्यों आना पड़ा, इसलिये ताकि हम प्रदेश सरकारों की मदद कर सकें और वह लोगों को बिजली पहुंचायें तथा बिजली का इस्तेमाल विकास और प्रगति के लिये हो ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दो सवाल किए थे । क्या आपने कोई योजना बनाई है, कोई व्हाइट पेपर निकालने जा रहे हैं कि 20-25 सालों में कितनी आवश्यकता होगी बिजली की और उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? और नेशनल ग्रिड व क्षेत्रीय ग्रिड के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले ही बताया कि जैसे इलैक्ट्रिसिटी एनुअल इलेक्ट्रिक पावर सर्वे आफ इंडिया ने 5 साल के लिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाया, एसेसमेंट किया था, इस वक्त जो 12वीं कमेटी है, वह उस पर कार्य कर रही है और अगले पांच वर्षों के लिए वह एक अनुमान लगा रहे हैं । हम 20 साल का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि आवश्यकता में जो वृद्धि होती है, वह वर्तमान तजुर्बे के मुताबिक आगे पहुंच जाती है । लेकिन सातवीं योजना के अन्त तक हमारा अनुमान है कि हमारे पास उत्पादन क्षमता 70 हजार मैगावाट की होगी । यह शताब्दी पूरी होते-होते हमें उम्मीद है कि 1 लाख 20 हजार मैगावाट की क्षमता होगी ।

दूसरी बात आपने रीजनल ग्रिड और नेशनल ग्रिड के बारे में पूछी है ।

SHRI E. BALANANDAN (Mukunda Puram) : Now the projection is not upto that. The target now set forth in the Seventh Five Year Plan does not come to that. It is less than one lakh.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : That is what I have submitted. I have not said even 80. I have said only 70. That is what I have said.

मैंने बताया कि रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन दूसरा प्रपोजल है कि इसको रीजनल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी बनाया जाये ।

इस समय जो रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं, उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वह उस क्षेत्र में आने वाले राज्यों को इस बात के लिए बाध्य कर सकें कि आपको इतनी बिजली लेनी है, इतनी बिजली दूसरे राज्यों को देनी है जो कि उस क्षेत्र में पैदा होने वाली है । उनके पास इस तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।

इसीलिए बार-बार राजाध्यक्ष कमेटी की बात होती है । इसीलिए हमारे मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की भी यह राय है कि पावर को सेन्ट्रल लिस्ट में ले लिया जाना चाहिए । लेकिन जब राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों की बैठक हुई, तो राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विद्रोह कर दिया ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उसको विद्रोह नहीं कहूंगा । उन्होंने इससे सहमति व्यक्त नहीं की और इसका उनको अधिकार है । सरकार के सामने दो मत हैं । हमारी कोशिश यह है कि इस व्यवस्था को ज्यादा संगठित और सुदृढ़ किया जाए । मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छा बनाया जाए और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्र में, जहां भी

बिजली की जरूरत है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए ।

इसलिए बार-बार नेशनल ग्रिड पर जोर दिया गया है । हम राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, ऊर्जा मन्त्रियों के सामने यह सुझाव लेकर गए थे । राज्य सरकारों के अधीन जो बिजली-उत्पादन के कारखाने आते हैं, उनको छोड़िए, अब तो यह भी मसला है कि कोलियरी पिटहैड्ज़ पर केन्द्र सरकार के जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन्ज हैं, चूंकि उनके लिए ज्यादा कोयला चाहिए, इसलिए उस क्षेत्र में पड़ने वाले दूसरे राज्यों के पचास या सौ मैगावाट के कारखानों के छोटे-छोटे प्रोपोजल भी प्रभावित हुए हैं ।

इसके अलावा जिस राज्य में सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगा है, उसी क्षेत्र के दूसरे राज्यों से ये शिकायतें आ रहीं हैं कि उस पावर स्टेशन से हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कहां कितना उत्पादन हो रहा है । लेकिन केन्द्रीय सरकार के बिजली के कारखानों में उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों का हिस्सा है और वह उन्हें मिलना चाहिए । मिसाल के तौर पर कर्नाटक और गोआ से शिकायत आई है कि आंध्र प्रदेश उनको उनका हिस्सा नहीं लेने दे रहा है और उनको वहां पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से बिजली नहीं मिल रही है । जिन राज्यों में हमारे सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं, आपके माध्यम से मैं उनकी सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्यों का जो हिस्सा है, वह उनके पास पहुंचे ।

समस्या यह है कि ट्रांसमिशन लाइन उस राज्य सरकार की है, स्टेशन हमारा है, लेकिन हम किसी तरह भी उन्हें बाध्य नहीं कर पा रहे हैं । उनको डिसिप्लिन करने का तरीका यह है कि हम उत्पादन को गिरा दें । लेकिन यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । इसलिए हम यह नहीं करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अगर आप हमारी स्थिति में होते तो आप कर सकते थे । हम यह काम नहीं करेंगे, भले ही सहमति न हो ।

SHRI E. BALANANDAN : The controversy can be settled in this way. The Central Electricity Authority is now controlled by the Central Government. If you give representation to the State Electricity Boards in the Central Electricity Authority, it will become federal and the whole thing can be discussed there, so that the controversy will be settled. Can you consider this proposition ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The Central Electricity Authority is not supposed to resolve these disputes. This is about the share of various States in the Super Thermal Power Station. The Central Electricity Authority basically gives expert advice, technical advice, on setting up of thermal Stations. What share which State Government will have in a particular Super Thermal Power Station is always determined according to a national formula which has been evolved on the basis of a consensus. So, the Central Electricity Authority is not involved in this matter.

इसलिए हमारा प्रयास है और पासवान जी यदि सहायता दें, उन राज्य सरकारों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें तो हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नेशनल ग्रिड को मजबूत किया जाए जिससे कि पूरे देश में इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जगह ठीक प्रकार से बिजली मिले ।

MR DEPUTY SPEAKER : Now, Mr. Harikesh Bahadur.

The rule is that a Member will put one question. It says, "Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidaton of and matter of facts."

SHRI HARIKESH BAHADUR : I do not know why you did not read this rule at the first instance.

MR. DEPUTY SPEAKER : He was the first Member. You can put only a new thing.

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री हमारे मित्र हैं लेकिन वे जो दावा कर रहे हैं उसको पूरी तरह से मान लेना हमारे लिए सम्भव नहीं है। वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि देश में बिजली का एक भीषण संकट है। मैं जिस राज्य से आता हूं उसी राज्य से वे भी यहां पर आते हैं और वे जानते हैं कि खासतौर से किसानों को बिजली के कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि राज्य सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि गांवों में सात-आठ या दस घंटे बिजली की सप्लाई प्रतिदिन की जाती है लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि एक सप्ताह में भी सात-आठ घंटे भी बिजली मिल जाए तो हम समझेंगे कि राज्य सरकार जो प्रतिदिन की बात कहती है वह प्रतिदिन नहीं प्रति हफ्ते के हिसाब से है। खासतौर से मैं जिस गोरखपुर जिले से आता हूं वहां पर बिजली का भीषण संकट है। उसकी ओर बार-बार राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जहां तक बिजली बोर्डों के कार्यकलापों का सवाल है, यह अलग बात है कि वह सीधे तौर पर केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है लेकिन आप राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और उन पर दबाव भी डाल सकते हैं। वैसे हथकण्डे तो कई हैं, आपने सरकारें भी भंग की हैं लेकिन उस बात के लिए तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दूसरे तरीके भी हैं जिनके द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा सकता है। आज बिजली बोर्डों में जो घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको आप जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक इस समय जनता के सामने जो विद्युत संकट है, उसका समाधान नहीं हो सकेगा।

कोयले की खराबी के कारण जो थर्मल पावर प्लान्ट्स हैं वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। एक कारण तो यह है कि कोयले में एश कन्टेन्ट बहुत है और उस कोयले को जब ब्वायलर में इस्तेमाल किया जाता है तो कैलोरिफिक वैल्यू कम होती है जिसके परिणाम-स्वरूप जिस क्षमता से बिजली का उत्पादन होना चाहिए वह नहीं होता है। साथ-ही-साथ ब्वायलर भी खराब होते हैं।

इसलिए मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार की ओर से कोयले का कोई परिष्कृत रूप लाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके लिए सरकार के सामने बड़े पैमाने पर कोल वाशरीज स्थापित करने की कोई योजना है ताकि परिष्कृत और संशोधित कोयला पैदा किया जा सके और उसका इस्तेमाल बिजली घरों में किया जा सके ? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के दो बड़े विद्युत संगठनों—हरदुआगंज और ओवरा में भीषण अग्निकाण्ड हुए जिनमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है, सारा देश इसको जानता है और सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है लेकिन आज तक पता नहीं चला, ठीक ढंग से कि किन की लापरवाही से इतने भीषण अग्निकाण्ड हुए जिनमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। इस प्रकार जो गड़बड़ी करने वाले लोग है, उनको कठोरतम सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि वह किसकी गड़बड़ी की वजह से हो गई। पता लगा है कि कुछ अधिकारियों के आपसी झगड़े में किसीको बदनाम करने के कारण हुई है। यह तो देशद्रोहजैसी बात हुई और उसके लिए उसको कड़ा दंड देना चाहिए। इस सम्बन्ध में क्या

कार्यवाही की जा रही है, उस पर मंत्री जी को प्रकाश डालना चाहिए ।

बिजली में अचानक कटौती की वजह से लोगों को काफी नुकसान होता है । ऐसे तमाम नवयुवक जो बैंकों से कर्जा लेकर छोटा-मोटा कारखाना लगाते हैं, उनको हर महीने पैसा देना पड़ता है, बैंकों से लिए कर्ज पर उनको ब्याज देना पड़ता है, तो उनको कठिनाई होती है । कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं, बिजली के अचानक चले जाने से उनको उन मजदूरों की मजदूरी तो देनी ही पड़ती है, इसकी वजह से भी उनको नुकसान होता है । इस प्रकार की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करनी चाहिए । यदि बिजली की आपको कटौती करनी ही है तो उसकी घोषणा पहले से होनी चाहिए कि इस समय से इस समय तक बिजली नहीं रहेगी । मैं आपको इसके बारे में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा और कई बार हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि इस प्रकार की परेशानी है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में पासवान जी ने भी कहा है कि उनके इक्वीपमेंट काम में लाए जा सकते हैं । लेकिन इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती है । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के इक्वीपमेंट इस्तेमाल न करके बाहर से सामान मंगाया जाता है, जिस पर देश को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है । कमीशन की वजह से हो या कोई और कारण भी हो सकता है । इसको तो मंत्री जी ही बतायेंगे । गलत बिल देने की प्रवृत्ति भी है, इस पर अंकुश होना चाहिए । आज कल यदि किसी का बिल पचास रुपये आता है तो उसका 800 या 1000 रुपये आता है, जबकि आपके यहां इंजीनियर लोग सिर्फ पौने तीन रुपये ही देते हैं ।

हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर के बारे में भारत 1983 में कहा गया है—जल तथा विद्युत आयोग ने 1953-58 में मूल्यांकन से पता चला कि देश में 260 पन योजनाओं के जरिए कुल ढाई करोड़ किलोवाट बिजली अविरल रूप से प्राप्त की जा सकती है । तकनीकी प्रगति और विद्युत प्रणालियों की स्थिति परिवर्तन के कारण देश में पन-बिजली क्षमता की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जा रही है और प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार देश की पन-बिजली क्षमता 75,000 मैगावाट आंकी गई है । यह तो आपने क्षमता आंकी है । उसके बाद आप फिर कहते हैं—अनेक पन-बिजली परियोजनाओं पर काफी काम हो चुका है और अगले कुछ समय के दौरान पूरी होने वाली है । वर्ष के दौरान 10,427 मैगावाट क्षमता वाली 114 पन-बिजली परियोजनाओं का अध्ययन किया गया । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय 15 मैगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली 103 अल्प/छोटी पन-बिजली योजनायें चल रही हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 150 मैगावाट है । आप 75 हजार मैगावाट पा सकते हैं जबकि आप 150 मैगावाट प्राप्त कर रहे हैं । जब इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए । ताकि बिजली का जो संकट व्याप्त है, वह दूर हो सके । पता नहीं आपने क्यों कुल आवश्यकता 156 बिलियन यूनिट ही समझी है, जबकि यह बहुत अधिक है ।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Mr. Deputy Speaker, Sir, electricity constitutes a vital aspect in every economy. In the U.S S.R. after the Socialist revolution in 1917, Lenin gave top priority to the power generation. Although we achieved freedom in 1947, our government at the Centre could not make a master plan to give top priority to the power generation in the country. That is why we face so much power shortage in all parts of our country. I think the Government would certainly be awakened to the present critical position in regard to power generation in the country and would definitely adopt a suitable project to generate power to the tune as the demand

is in the country. Different States and their Electricity Boards are trying level best to generate electricity. But the Central Electricity Authority is creating hindrance thus retarding the progress of power generation . I may just give an example of West Bengal.

The Central Electricity Authority have fixed the would-be demand of electricity in 1990-95 for West Bengal and the State Electricity Board also has assessed the position and they have jointly come to the conclusion that if the rate of generation of power goes on in this way, then in 1990-95 the total demand of the State would not be met at all. So, the State Electricity Board has prepared a project report for an establishment of thermal power station at Bhadreshwar in the district of Bhir Bhum This thermal power station would consist firstly of three units of 210 MW each and five units of 200 MW each. In the meetings held at Calcutta and in Delhi, the Secretary, (Power) as well as the Chairman, Central Electricity Authority promised that the project would be cleared very soon. We understand that the Government is going to include this project most probably in the 8th Plan and not in the Seventh Plan and there is also a rumour that the Government may instal a NTPC Thermal Power Station in Bhir Bhum district. If that be so, then it would be a marginal benefit to the West Bengal people. So, the State Government considers it fit that if the power station proposed by the State Electricity Board is installed at Bakreshwar; it would help the State to a great extent. So, in view of this, I would like to know from the Hon. Minister whether this project would be included in the Seventh Plan and whether adequate finance would be provided to this project.

The second part of my question is that a number of hydro-electric power plants are proposed to be set up in the various parts of our country.

In so far as West Bengal and the eastern region of the country are concerned, if the hydro-electric projects are undertaken in the north-eastern region, it would help a lot to the people of the north-eastern region, West Bengal and Assam. I would like to know from the Minister, whether he proposes to install more hydro-electric plants in the north-eastern region of the country.

The State Electricity Boards face different problems because of the non-clearance of their proposals by the Central Electricity Authority. I would like to know from the Hon. Minister whether he proposes to amend the Electricity Act of 1948 so that the State Electricity Boards can undertake projects to the tune of atleast five crores without prior concurrence of the Central Electricity Authority.

The indigenous equipment supplied to the Santhaldih plant in West Bengal has been found defective. Such defective equipments have also been supplied to Kolaghat project. I do not suggest that you import equipment from abroad; I only suggest that the Ministry should take measures to ensure manufacture of good quality indigenous equipment, so that such a situation does not arise. I would like to know whether the Minister would accept my proposal.

Further, if a Power Finance and Development Corporation is set up in the country, it would finance the State Electricity Boards. I propose that a Power Finance and Development Corporation should be constituted with the Authority of financing the State Electricity Boards. May I know whether the Minister would accept my proposal ?

Lastly, it has been noticed that the supply of poor quality coal to the various power plants has been doing a lot of damage to the plant machinery. If the matter is taken up with the Railway authorities in all seriousness, arrangements for supply of good quality coal for this purpose can be ensured. May I know whether the Minister would take up the matter with the Railway Ministry to ensure supply of good quality coal to the power plants.

प्रो अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर): मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले विशेषज्ञों के बारे में कहा था। आपका जो कहना है, उसको मैं

समझ सकता हूं। मुझे आपके विशेषज्ञों की विशिष्टता को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके एसेसमेंट की जानकारी प्राप्त करके ऐसा ही लगा जैसे कि एक गणित के विशेषज्ञ थे। वे अपने परिवार के साथ नदी पार कर रहे थे और उन्होंने नदी की औसत गहराई दो फीट निकाली और नदी पार करने लगे। वे तो नदी पार कर गए लेकिन उधर देखते हैं कि उनके कुनबे का कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं बचा। तब उन्होंने कहा कि लेखा-जोखा पूरा तो कुनबा कैसे डूबा।

जो बातें कही जा चुकी हैं उनको दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात कही है, आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपकी कितनी बिजली की आपूर्ति हो सकती है? आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में कठिनाई यह है कि वे मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर उनके जलाशयों में पानी जमा हो जाता है तो वे अपनी क्षमता के अनुसार बिजली पैदा कर देते हैं, पानी जमा न होने पर उनकी क्षमता बेकार हो जाती है। क्या आप इन बड़े-बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स के बजाय छोटे-छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने पर विचार कर रहे हैं?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राजाध्यक्ष समिति के जो प्रतिवेदन हुए हैं उनके बारे में हाल ही में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी जिससे इस पर काफी मतभेद रहे। उन मतभेदों को दूर करने की दिशा में और कोई निर्णय लेने की दिशा में आपका क्या प्रयास है? आप उसमें कहां तक सक्षम हुए हैं?

ग्रिड स्कीम के बारे में आपने कहा लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा कि इस सिस्टम के दोषों के कारण सारे उत्तर भारत में बिजली चली गई और अंधकार फैल गया। ग्रिड सिस्टम के जहां अपने गुण हैं, वहां दोष भी। एक लाईन में दोष उत्पन्न होने से दूसरी लाईन में भी दोष आ जाता है। उसी के कारण सारे उत्तर भारत में अंधकार फैल गया। इसको दूर करने के आप क्या उपाय सोच रहे हैं?

बिजली के संयंत्रों में खराब कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली का उत्पादन कम होता है। बिजली विभाग का यह कहना है कि हमें साफ कोयले की आपूर्ति हो। उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया था। लेकिन कोल इंडिया के अध्यक्ष का अभी हाल में दूसरा वक्तव्य आया है कि बिजली के कारखानों को अच्छे कोयले की आपूर्ति की गई है। सरकारी विभागों के वक्तव्यों में इस विरोधाभास का आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? यह मैं जानना चाहूंगा।

परम्परागत स्रोतों और गैर-परम्परागत स्रोतों दोनों से बिजली उत्पन्न हो सकती है। गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली प्राप्त करना हमारी आवश्यकताओं के लिए कितना सहायक हो सकता है इसके बारे में आप बताएं? इसके बारे में आपने क्या सोचा है और क्या उपाय किये हैं?

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): माननीय सभापति जी, जैसे-जैसे समय की गति का पहिया बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी आवश्यकताएं भी आगे बढ़ती जाती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए बिजली की उसमें अहम भूमिका है हमारा देश गरीब है, पिछड़ा है, हमारे साधन सीमित हैं फिर भी बिजली के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइस नहीं है। बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में,

कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम काफी प्रभावित हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे बिजली के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनका उपयोग करने के लिए निकट भविष्य में क्या प्रभावी और कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

देश में इस समय जितने बिजली गृह हैं, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, इनमें किस क्षेत्र में हमारी उत्पादन क्षमता बेहतर है।

इसके साथ-ही-साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आमतौर पर यह देखा गया है कि बिजली उत्पादन गृहों में आगजनी तोड़-फोड़ और चोरियों की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे पिछले साल ओबरा बिजली गृह में आग लगने से पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में डूब गया। इसी प्रकार मेरे जिले के कासिमपुर पावर हाऊस में भी इसी तरह की घटनाएं घटीं। ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाएं क्यों होती हैं। क्या जानबूझ कर तो ये घटनाएं नहीं कराई जातीं ? इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, इस संबंध में सदन को अवगत कराएं।

मेरे प्रश्न का अन्तिम भाग है जो लीक से ज़रा हटकर है लेकिन देश के और किसानों के हित में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश के बहुत से भागों में आज सुखा पड़ रहा है। जिसके कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका विभाग इसके लिए कुछ कर रहा है। इस क्षेत्र में नल कुपों को विशेष रूप से बिजली देने की कोई व्यवस्था की जा रही है जिससे किसानों की रोपाई का काम पूरा हो सके ? इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, जितने प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं, राम विलास पासवान जी के प्रश्नों सहित तकरीबन सभी के ऊपर कुछ-न-कुछ कह चुका हूं। जो छूट गए हैं, उनके बारे में निवेदन किए देता हूं। जो प्रोजेक्ट्स के बारे में या विशेष समस्याओं के बारे मे पूछा गया है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि थोड़ा अग्रिम सूचना की आवश्यकता होती है। जैसा कि माननीय गिरि जी ने वैस्ट बंगाल के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा है। इस वक्त मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं उनको बाद में सूचना उपलब्ध करा दूंगा।

एक बात खासतौर से छूट गई थी, पासवान जी ने क्वालिटी आफ कोल के बारे में पूछा था। इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। यह बात भी तभी है कि बिजली बोर्डों की तरफ से एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसके बारे में क्वालिटी के बारे में शिकयत की गई है और जैसा मेहता जी ने कहा कि कोल इंडिया के चेयर मैन ने स्टेटमेंट दिया है मैं इन परस्पर विरोधी बयानों में नहीं जाना चाहता। इस बारे में विभाग ने चिंता व्यक्त की है और कोयले की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम निरंतर कोल इंडिया के अधिकारियों से संपर्क बनाए रहते हैं। उन पर जोर डालते हैं क्योंकि इनका असर प्लांट लोड फैक्टर पर पड़ता है। उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्वलिटी का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। मुझे खुशी है कि कोल इंडिया के कोयले से संबंधित अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है कि अब जाइंट इंस्पेक्शन विद्युत विभाग और कोयला विभाग के अधिकारी करेंगे। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। वे मिलकर कोयले की क्वालिटी देखेंगे और कोल प्लांट, वाशरीज और अन्य यंत्र देखेंगे जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अच्छी

क्वालिटी का कोयला विद्युत यूनिटों को उत्पादन करने के लिए भेजा जाए । मैं समझता हूं कि इससे निश्चित ही स्थिति में सुधार आएगा और अच्छा कोयला उपलब्ध होगा ।

SHRI HARIKESH BAHADUR : *rose*

MR. CHAIRMAN : My Minister, you please continue your reply. Don't yield.

MR. CHAIRMAN : Not to be recorded.

(*Interruptions*)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर किसी बात के लिए मुझे अग्रिम सूचना दी जायेगी तो मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा । हरिकेश जी और पासवान जी ने प्लांट लोड फैक्टर के बारे में प्रश्न उठाए थे । उस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा लेकिन अब उसके बारे में बता देना चाहता हूं । असल में वह कम होना उस वक्त शुरू हो गया था, अब आप लोग इधर आकर बैठ गए थे । 1974-75 में 52.5 प्रतिशत, 1975-76 में 52.1 प्रतिशत, 1976-77 में 55.9 प्रतिशत, 1977-78 में 51.4 प्रतिशत, 1978-79 में 48.3 प्रतिशत, 1979-80 में 44.7 प्रतिशत, 1980-81 में 44.6 प्रतिशत । 1981-82 से स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ । 1982-83 में 49.8 प्रतिशत, 1983-84 में 47.9 प्रतिशत और 1984-85 के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह पचास प्रतिशत है । कई चीजें हैं जिनको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा । मिसाल के तौर पर 1980 के बाद लगने वाले नए कारखाने, जिनको स्टेबिलाइज होने में थोड़ा समय लगता है, फौरन उतना प्लांट लोड फैक्टर नहीं देते जितना कि स्टेबिलाइज होने के बाद देते हैं । उसके बाद कई और कारण हैं । राज्य सरकारों को भी हम बार-बार लिखते हैं कि प्लांट लोड फैक्टर को बेहतर किया जाए और ज्यादा अच्छे तरीके से बिजली उपलब्ध करायी जाए । थोड़ी देर पहले मैंने ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कहा था कि वह पचास प्रतिशत हो गया है, वह सही नहीं था । सही यह है कि 60.7 प्रतिशत हो गया है और 53.62 लाख पम्प सैटों को एनरजाइज्ड किया गया है ।

श्री राम विलास पासवान : खराब कितने हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है । अगर खराब हैं तो ठीक करने वाले को बुलाकर ठीक कराए जाने चाहिए ।

ग्रामीण विद्युतिकरण माननीय प्रधान मंत्री जी के बीस-सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है । उस पर हम खासतौर पर ध्यान दे रहे हैं । हमारा यह निश्चित मत है कि जब तक हम गांवों में विद्युत नहीं ले जाते तब तक जो विकास की कल्पना है, वह पूरी नहीं होगी । 75 प्रतिशत जगह पर बिजली पहुंच गई है । थर्मल यूनिट के मुकाबले में पन-बिजली के जो यूनिट होते हैं, उनके बनने में ज्यादा समय लगता है । हमारी आवश्यकता की इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि हमें उन यूनिट्स की तरफ ध्यान देना पड़ा जो जल्दी कमीशन हो जाती है । मैं समझता हूं हमारे पास 75 हजार नहीं बल्कि 80 हजार मैगावाट से ज्यादा पन-बिजली उत्पादन की क्षमता है ।

पहले भी मैंने अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यही निवेदन किया था कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम पन-बिजली पर ट्रांसमिशन सिस्टम पर ज्यादा जोर देने

**Not recorded.

जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसका संतुलित विकास हो सके।

गिरि जी ने कुछ प्रोजैक्ट के बारे में बताया। किसी पर्टिकूलर प्रोजैक्ट के बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन वैस्ट बंगाल में मिसाल के तौर पर कोलाघाट परियोजना को ही ले लीजिए, जिसमें 210 मैगावाट की तीन यूनिट्स लगनी हैं। इस परियोजना की स्वीकृति 1973 में दी गई और उस समय इसकी कमीशन की डेट 1978-79 रखी गई थी। लेकिन अभी तक वह कमीशन नहीं हो सकी है। ऐसा लगता है शायद 1985-86 तक कमीशन हो पाये। एक दूसरी परियोजना सांतालदीह है जो 120 मैगावाट की है। उसकी सेंक्शन 1968 में दी गई, कमीशन होनी थी 1975-76 में, लेकिन कमीशन हुई 1980-81 में। इसलिए जो पहले से स्वीकृत परियोजनायें हैं, उनको ओरिजिनल डेट्स पर कमीशन करवाने के लिए आप अपनी सरकार को क्यों नहीं कहते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्हें वहां इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि वैस्ट बंगाल सरकार उन परियोजनाओं पर ध्यान दे। वहां तो कई साल से आपकी सरकार है और इस बीच में तो सारी परियोजनाओं को उसे पूरा कर लेना चाहिए था। जहां तक दूसरी परियोजनाओं का आपका प्रस्ताव है, हम उनको भी जल्दी-से-जल्दी स्वीकृति देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोल लिंकिंग वगैरह की व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं को तो आप पूरा करवाइये।

आपने 5 करोड़ की सीमा के बारे में भी कहा। उसके सम्बन्ध में इस सदन से और दूसरे सदन राज्य सभा से पहले ही स्वीकृति ले ली गई है और बहुत जल्द ही वह कानून बन जाएगा। पावर फाईनैंस कार्पोरेशन के बारे में भी हम कह चुके हैं कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

———

18.51 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications under Central Excise Rules 1944 and Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of Notification Nos. 165/84-CE to 190/84-CE (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st August, 1984 together with an explanatory Memorandum notifying effective rates of duty for Copper, Zinc, Aluminium and lead and their products falling under the revised Item Nos. 26A, 26B 27 and 27A of the Central Excise Tariff, issued under the Central Excise Rules, 1944.

[*Placed in Library. See No. LT-8511/84.*]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(i) Notification No. 209/84-Customs published in Gazette of India dated the 1st August, 1984, together with an explanatory memorandum prescribing effective rates of additional duty of customs on aluminium and products thereof.

(ii) Notification Nos. 210/84-Customs published in Gazette of India dated the 1st August, 1984 together with an explanatory memorandum exempting components of fuel efficient two-wheeled motor vehicles in excess of the basic customs